इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020—माघ 25, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020

क्र. एफ-बी-1-25-2020-2-पांच(26).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के उप-नियम में, :—

(एक) खण्ड (ट-1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ट-1) एफ. एल.-10क (बाहरी निर्माता की केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति)

यह अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश के बाहर विदेशी मदिरा का विनिर्माण करने के लिये समुचित अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को दी जाएगी. यह अनुज्ञप्ति प्रदेश में ऐसे स्थानों पर जहाँ विदेशी मदिरा भाण्डागार अवस्थित है, दी जा सकेगी. ऐसी अनुज्ञप्ति उक्त एक या अधिक स्थानों के लिए दी जा सकेगी. अनुज्ञप्तिधारी को केवल उन नामपत्रों (लेबल) की विदेशी मदिरा के शुल्क का भुगतान किए बिना, आयात/स्टाक करना अनुज्ञात किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश के बाहर समुचित अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित की जा रही है और जो आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पास नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है. अनुज्ञप्तिधारी, एफ. एल.-6 अनुज्ञप्तिधारी को शुल्क का भुगतान किए बिना अपने स्टाक का विक्रय करेगा या उसका 'विदेशी मदिरा भाण्डागार' में भण्डारण किए जाने के लिए अंतरण/परिवहन कर सकेगा."

(दो) खण्ड (ट-2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ट-2) एफ. एल.-10ख (मूल में बोतलबंद आयातित विदेशी मदिरा के लिए केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति)

यह अनुज्ञप्ति भारत से बाहर विनिर्मित विदेशी मदिरा का भारत में विनिर्माता को या सीमा शुल्क बंधित भाण्डागार अनुज्ञप्तिधारी के वहन करने तथा अग्रेषित करने वाले अभिकर्ता को मंजूर की जाएगी. यह अनुज्ञप्ति प्रदेश में ऐसे स्थानों पर जहाँ विदेशी मदिरा भाण्डागार अवस्थित है, दी जा सकेगी. अनुज्ञप्तिधारी को केवल उन नामपत्रों (लेबल) की विदेशी मदिरा के शुल्क का भुगतान किए बिना मूल में बोतलबंद आयातित विदेशी मदिरा (वाईन और बीयर को सम्मिलित करते हुए) जो आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पास नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है. अनुज्ञप्तिधारी, एफ. एल.-6 अनुज्ञप्तिधारी को शुल्क का भुगतान किए बिना अपने स्टाक का विक्रय करेगा या उसका विदेशी मदिरा भाण्डागार में भण्डारण किए जाने के लिए अंतरण/परिवहन कर सकेगा."

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020

क्र. बी-1-25-2019-2-पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-25-2019-2-पांच (26) दिनांक 12 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 12th February 2020

No. F-B-1-25-2020-2-V(26).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In sub-rule (1) of Rule 8 :

(i) For clause (k-1), following clause shall be substituted, namely :—

"(k-1)-FL. 10A (Outside manufacturer's central godwon licence)

This licence shall be granted to a licensee holding an appropriate licence for the manufacture of foreign liquor outside Madhya Pradesh. This licence may be granted at such places in the state where Foreign Liquor Warehouse is situated. Such licence may be granted for one or more said places. The licensee shall be permitted to import/stock without payment of duty only those labels of foreign liquor that are being manufactured outside Madhya Pradesh under an appropriate licence and which are registered with the Excise Commissioner, Madhya Pradesh under Rule 9. Licensee shall sell his stock without payment of duty to an F. L.-6 licensee or may transfer/transport it to 'foreign liquor warehouse' for being stored therein."

(ii) For clause (k-2), following clause shall be substituted, namely :—

"(k-2)-FL. 10B. (Central Godown licence for imported Foreign Liquor Bottled in Origin)

This licence shall be granted to a manufacturer or custom duty bonded warehouse licensee or carrying and forwarding agent of the manufacturer in India of foreign liquor manufactured outside India. This licence may be granted at such places in the state where Foreign Liquor Warehouse is situated. The licensee shall be permitted to import/stock Imported Foreign Liquor Bottled origin without payment of duty only those labels of Foreign liquor that are being manufactured outside India i. e. imported foreign liquor Bottled in Origin (inclusive of wine and beer) which are registered with the Excise Commissioner, Madhya Pradesh under Rule 9. Licensee shall sell his stock without payment of duty to F. L. 6 Licensee or may transfer/transport it to foreign liquor warehouse for being stored therein."

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.